


# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 11/08/2021

## आवश्यक- सूचना

सत्र 2018-19 में MPTASS Portal से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो सत्र 2019-20 में ऐ.टी.के.टी. होने के कारण छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं कर पाये थे यदि उन विद्यार्थियों ने ऐ.टी.के.टी. उत्तीर्ण कर ली है तो वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का डाटा पोर्टल पर परीक्षा परिणाम अपडेट करने हेतु दिखाई नहीं दे रहा है वे विद्यार्थी अपने सभी सेमेस्टर की अंकसूची तथा अन्य कोई तकनीकी समस्या आ रही होतो वे आवेदन पत्र श्री पंकजसिंह के पास जमा करावे।

  
(डॉ. इनामुर्रहमान)

प्राचार्य  
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर  
Gov. New Law College